न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2068–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–6–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 187/अपील/2012–13

—

1–तुलाराम वल्द मंगरू
2–कामीलाल वल्द भीवा
3–चन्द्रशेखर वल्द भीवा
तीनों निवासी ग्राम जामगांव तहसील भैंसदेही(आठनेर)
जिला बैतूल
4–रामकली पुत्री चेतराम पत्नी स्व0मोहनलाल
निवासी मुचगोहान तहसील व जिला बैतूल म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

भूरा मृत वारिसान
1–देवदास
2–भगवानदास
3–रमेश
4–भारती
5–शंकुनतला
6–विमला
7–इंदु
8–सुनीता
सभी निवासी ग्राम जामगांव तहसील भैंसदेही(आठनेर)
जिला बैतूल

.....अनावेदक

श्री प्रकाश दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री यशबंत साहू, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 18–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के पूर्वज भूरा द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त आठनेर, तहसील भैंसदेही के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत संयुक्त खाते की ग्राम मौजा जामगांव स्थित भूमि सर्वे नम्बर कमशः 126, 157 व 161 रकवा कमशः 0.117, 7.713 एवं 1.324 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–27/2002–03 दर्ज कर दिनांक 5–6–2004 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–1–2006 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–6–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन भूमि का 1/2 भाग भूरा को तथा शेष 1/2 भाग तुलाराम व अन्य भाईयों को दिया गया । तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष भूरा की मृत्यु होने पर उसके वारिसान को अभिलेख पर बिना लाये आदेश पारित किया गया था, इस कारण उनके समक्ष प्रचलित अपील अवेट हो गई थी, इसके बाबजूद भी अपर आयुक्त द्वारा गुणदोष पर आदेश पारित करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि मंगरू की दो पत्नियॉ थी और हिन्दू

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी पत्नी को हक प्राप्त नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो कि मृतक भूमिस्वामी मंगरू द्वारा अपने जीवन काल में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा करा दिया हो । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष फर्द बंटान पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि मंगरू की मृत्यु 40 वर्ष पूर्व हुई है, तब अनावेदक द्वारा अपने हिस्से की मांग नहीं की गई है और 40 वर्ष पश्चात् हिस्से की मॉग करना उचित नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वह अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुये हैं, इसलिये उन पर विचार किया जाना उचित नहीं है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मंगरू का विवाह वर्ष 1925 में हुआ था, उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं था । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी मंगरू की दोनों पत्नियों को समान हिस्सा प्राप्त होगा । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूरा के वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने हेतु अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्वीकार भी किया गया है । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी मंगरू द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा किया जाकर उनके पास शेष बची भूमि को दान में दिया गया है । अंत में कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मृतक भूरा के वारिसानों को अभिलेख पर लिया गया है, परन्तु त्रुटिवश आदेश में वारिसानों का उल्लेख नहीं किया गया है,अतः इससे यह मान्य नहीं किया जा सकता है कि अपर आयुक्त द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है और वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिया गया है। इसलिये इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। यह निर्विवादित है कि मृतक भूमिस्वामी मगरू

की दो पत्नियॉ थी और दो पत्नियॉ होने से इस तथ्य को मान्यता नहीं दी जा सकती है कि मृतक भूमिस्वामी मगरू के दो परिवार थे, बल्कि दो पत्नियॉ होने पर भी एक ही परिवार मान्य किया जायेगा, ऐसी स्थिति में मृतक भूमिस्वामी मगरू के चार पुत्र मान्य होंगे और सभी को 1/4 – 1/4 हिस्सा प्राप्त होगा । तहसीलदार द्वारा उक्त वैधानिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये ही प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा चारों पुत्रों के मध्य बराबर–बराबर किया गया है और तहसीलदार के वैधानिक आदेश के पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णत उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा मृतक भूमिस्वामी मगरू की दो पत्नियॉ होने से दो परिवार मानकर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 18–06–2015 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर